अध्याय 6

प्रकीर्ण

73. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की अनुसूची के स्पष्टीकरण 3 में, "बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 मार्च, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे । 1955 के अधिनियम 16 का संशोधन। 2010 का 1

74. केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 के खंड (क) में, "चार प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे । 1956 के अधिनियम 74 की धारा 15 का संशोधन।

75. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची का तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा । 1957 के अधिनियम 58 की पहली अनुसूची का संशोधन।

76. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में,— 2005 के अधिनियम 28 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

(क) पैरा (क) में, खंड (ग) का 1 जून, 2011 से लोप किया जाएगा ;

(ख) पैरा (ज) का 1 अप्रैल, 2012 से लोप किया जाएगा ;

(ग) पैरा (झ) का 1 जून, 2011 से लोप किया जाएगा ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 57(क)(i), खंड 57(ख) और खंड 70(क)(i) के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे। 1931 का 16

http://indiabudget.nic.in